



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2019/आषाढ़ 28, 1941
No. 211]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2019/ASHADHA 28, 1941

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2019

फा. सं. वाई-18020/3/2019-सीएपी.—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और का. का. मं.) को देश में सांख्यिकीय प्रणाली के समेकित विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने का अधिदेश प्राप्त है। मंत्रालय विभिन्न मामलों पर अपनी व्यापक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया के भाग के रूप में समय-समय पर आंतरिक और बाह्य डोमेन विशेषज्ञों वाली अनेक समितियों का गठन करता रहा है। समितियों का गठन और उनके विचारणीय विषय मुख्यतया तकनीकी मुद्दों पर थे तथा इन पहलुओं को शामिल नहीं किया गया कि सिफारिशें करते समय समिति कैसे काम करेगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अथवा इसके द्वारा वित्त पोषित संगठनों, संस्थाओं और निकायों आदि द्वारा गठित विभिन्न समितियों के सदस्यों के लिए मंत्रालय ने एक आचार संहिता तैयार की है। तदनुसार, ऐसी समितियों में अपनी सदस्यता के आधार पर सदस्यों द्वारा अर्जित आंकड़ों/सूचना की गोपनीयता का संरक्षण करने के उद्देश्य से समितियों के सदस्यों के लिए कतिपय आचार मानक परिभाषित करने तथा इन्हें निर्धारित करने के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में आचार संहिता को अधिसूचित किया जा रहा है।

अनुसूची

समितियों के सदस्यों के लिए पेशेवर आचार संहिता

I. भूमिका

1. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और का. का. मं.) नियमित रूप से वृहत्त-आर्थिक समाहारों और संकेतकों को प्रकाशित करता है। ऐसे अनुमानों को तैयार करने में शामिल सांख्यिकीय प्रक्रियाएं खुली, पारदर्शी और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों और मानकों के अनुरूप हैं। विभिन्न तकनीकी समितियों में विस्तृत विचार-विमर्शों के उपरांत प्रक्रियाओं

तथा अनुमानों को विकसित किया जाता है। सांख्यिकीय प्रक्रिया में और अधिक समकालीन विधियों तथा अभिनव समाधानों के माध्यम से सुधारों के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिदर्श आकार में वृद्धि करने तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी उच्च वारम्बारता आंकड़ों का उपयोग करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। ये पहले अर्थव्यवस्था और समाज की प्रगति की बेहतर समझ और मूल्यांकन को सुसाध्य बनाती हैं।

2. इस दिशा में, कार्यप्रणाली की जांच करने और इनमें सुधारों की अनुशंसा करने तथा विभिन्न सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता के लिए समितियों, उप-समितियों, उप-समूहों, कार्य बल, कार्यकारी समूहों आदि का गठन मंत्रालय करता रहा है। इन समितियों में शासकीय सांख्यिकी प्रणाली के क्रियाकलापों को और अधिक व्यापक तथा बड़े पैमाने पर जनता के हित में बनाने के लिए गैर-सरकारी विशेषज्ञ/सांख्यिकीविद् शामिल होते हैं। समितियों के कारगर कार्यकरण के लिए विचार-विमर्शों के दौरान समितियों के सदस्यों द्वारा अप्रकाशित आंकड़ों, प्रारूप कार्यप्रणालियों तथा अन्य सूचना पर विचार-विमर्श करना अपेक्षित है। साझा किए गए आंकड़ों, सूचना और समिति के आंतरिक निर्णयों/विचार-विमर्शों की गोपनीयता सुनिश्चित करने तथा हितों के संभावित टकराव से बचने के लिए, समितियों के सदस्यों के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ में विस्तृत पेशेवर आचार संहिता को नियुक्ति की निबंधन और शर्तों में रखना वांछनीय है।

II. संहिता की प्रयोज्यता—

3. इस संहिता के प्रयोजनार्थ, "समिति" शब्द में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित समस्त समितियाँ अथवा उप-समितियाँ अथवा उप-समूह अथवा कार्य दल अथवा कार्यकारी समूह अथवा ऐसी अन्य संस्थाएँ तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित संगठन अथवा संस्थाएँ अथवा निकाय शामिल होंगे। यह संहिता अध्यक्ष अथवा सह-अध्यक्ष सहित समितियों के सभी "सदस्यों" पर लागू होगी। किसी समिति के किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति की निबंधन और शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ सदस्यों द्वारा पेशेवर आचार संहिता की स्वीकृति को शामिल किया जाए।

III. सदस्यों की जिम्मेदारियां और दायित्व

(क) समिति में सदस्यों के उनके कार्यकाल के दौरान सामान्य दायित्व -

4. समिति में उनके कार्यकाल के दौरान, सदस्य -

(क) अपने कार्यों को सत्यनिष्ठा, स्वतंत्रता, सद्भाव से निष्पादित करेंगे तथा समिति के अधिदेश के भीतर कार्य करेंगे;

(ख) समिति के विचार-विमर्शों में भाग लेंगे तथा समिति के उद्देश्यों के अनुरूप मुद्दों का समाधान करने में योगदान करेंगे;

(ग) वास्तविक अथवा कथित हित टकराव को दूर करने के लिए प्रत्येक उचित प्रयास करेंगे;

(घ) यदि समिति के विचार-विमर्शों के दौरान कोई कथित अथवा वास्तविक टकराव उभरता है, तो इसे लिखित में तुरंत समिति के अध्यक्ष तथा मंत्रालय के नोटिस में लाएंगे। हितों के टकराव के बारे में जानकारी होने पर सदस्यों द्वारा इसकी स्व-घोषणा करने तथा मामले की जांच होने और निर्णय होने तक समिति के सदस्यों के रूप में बने रहने से बचने की प्रत्याशा है;

(ङ.) सूचना, आंकड़ों तथा समिति के विचार-विमर्श की गोपनीयता का सम्मान करेंगे और इसे बरकरार रखेंगे;

(च) चूँकि समिति द्वारा लिया गया निर्णय सामूहिक और सहयोगात्मक ढांचों में होता है, अतः सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे समिति/संगठन अथवा इसके सदस्यों के कार्य के बारे में मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से किसी भी तरह की आलोचना में शामिल न हों।

(ख) समिति के कार्यकाल के दौरान सदस्यों का विशिष्ट दायित्व

5. किसी भी पूर्वगामी सर्वसाधारण नियमों को सीमित किये बिना, समिति के कार्यकाल के दौरान सदस्य-

(क) समिति की सदस्यता के आधार पर उनके लिए उपलब्ध सूचना अथवा डाटा अथवा विचार विमर्शों के किसी भाग को किसी भी मीडिया मंच, जिसमें मुद्रण अथवा टीवी अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा ऑनलाइन अथवा सोशल मीडिया शामिल हो, पर प्रकाशित नहीं करेंगे।

(ख) समिति के कार्यकाल के दौरान सदस्यों की हैसियत से प्राप्त किसी सूचना अथवा डाटा जो कि सामान्यतया जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, को अपने व्यक्तिगत फायदे अथवा लाभ, अथवा परिवार के सदस्य सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन के लाभ अथवा फायदे के लिए उपयोग नहीं करेंगे।

(ग) समिति छोड़ने के बाद दायित्व

6. सदस्य –

(क) समिति के कार्यकाल के दौरान उनके साथ साझा किये गए डाटा अथवा जानकारी की गोपनीयता और विचार-विमर्शों, जिसमें उन्होंने भाग लिया था, की गोपनीयता और सम्मान बनाये रखेंगे जब तक इस प्रकार की जानकारी अथवा डाटा आम तौर पर आधिकारिक रिलीज़ के माध्यम से सार्वजनिक न कर दिया जाए।

(ख) समिति के सदस्य की हैसियत से प्राप्त कोई जानकारी अथवा डाटा जो कि आमतौर पर सार्वजनिक रिलीज़ के माध्यम से जनता में उपलब्ध नहीं है, को अपने व्यक्तिगत लाभ अथवा फायदे, अथवा परिवार के सदस्य सहित किसी अन्य व्यक्ति और संगठन के फायदे अथवा लाभ के लिए उपयोग नहीं करेंगे।

IV. अन्य शर्तें

7. सदस्यों पर सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 और सीसीएस (सीसीए) नियमावली 1965, के प्रावधान यथाउपयुक्त लागू होंगे।

8. समिति के अध्यक्ष से उन मामलों में समिति और इसकी उप-समितियों के क्रोरम के लिए मानदंड निर्धारित करना अपेक्षित है जहाँ प्रमुख निर्णय लेने और सिफारिशें करने के लिए विचारार्थ विषय निर्दिष्ट नहीं किये गए हैं।

के. एस. रेजिमोन, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2019

F. No. Y-18020/3/2019-CAP.—The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) is mandated to act as the nodal agency for integrated development of statistical system in the country. The Ministry, as part of its comprehensive decision making process on various matters, has been constituting several Committees, from time to time, comprising internal and external domain experts. The constitution of the committees and their terms of reference were primarily on technical issues and did not cover aspects on how the committee would function while making recommendations. The Ministry has formulated a Code of Ethics for Members of the various Committees constituted by MoSPI or by the Organizations, Institutions and bodies etc., funded by it. The Code of Ethics, as given in the Schedule appended to this notification is being notified to define and to set out certain standards of conduct for the members of the Committees in order to protect the confidentiality of the data/information acquired by them by virtue of their membership in such Committees.

SCHEDULE

Code of Professional Ethics for Members of Committees

I. Introduction

1. The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) regularly brings out macro-economic aggregates and indicators. The statistical processes involved in producing such estimates are open, transparent and in line with the best international practices and standards. The processes and estimates are evolved after detailed deliberations in various technical committees. Various efforts are being made for statistical process reforms through more contemporary methods and innovative solutions. Efforts have also been made to increase the sample size and use of high frequency data

released by various agencies. These initiatives facilitate a better understanding and assessment of the progress of the economy and the society.

2. In this direction, the Ministry has been constituting Committees, Sub-Committees, Sub-groups, Task Force, Working Groups etc for examining and recommending improvements in the methodology and the quality of various statistical products. These Committees involve external domain experts/ statisticians for making the activities of the official statistical system more comprehensive and in the interest of public at large. During the deliberations, the members of the Committees are required to deliberate on unpublished data, draft methodologies and other information for effective functioning of the committees. In order to ensure confidentiality of the shared data, information and internal decisions/deliberations of the Committee and to avoid potential conflict of interest, it is desirable to put in place a Code of Professional Ethics for the members of Committees as detailed in the following paragraphs.

II. Applicability of the Code —

3. For the purpose of this Code, the term “Committee” shall include all Committees or Sub-Committees or Sub-groups or Task Force or Working Group or any such entities constituted by MoSPI and the organizations or institutions or bodies funded by MoSPI. The Code shall be applicable to all “Members” of the Committees, including the Chairperson or Co-chairperson. The terms and conditions of the appointment as a member of a Committee may, *inter-alia* include the acceptance of the Code of Professional Ethics by the Members.

III. Responsibilities and obligations of Members

(A) General Obligations of the Members during their term in the Committee —

4. During their term on the Committee, the Members shall —

(a) Carry out their functions with integrity, independence, good faith and shall act within the mandate of the Committee;

(b) Participate in the deliberations of the Committee and contribute to the resolution of the issues in consonance with the objectives of the Committee;

(c) Make every reasonable effort to avoid real or perceived conflict of interest;

(d) In case any perceived or real conflict emerges during the deliberations of the Committee, it will be immediately brought to the notice of the Chairperson of the Committee and the Ministry, in writing. The members are expected to self-declare such conflict of interest as they become aware of it and recuse themselves from continuing as members of the Committee till the matter is examined and decided on;

(e) Respect and maintain the confidentiality of the information, data and deliberations of the Committee;

(f) As decisions taken by the Committee are done in a collaborative and collective manner, members are required to not indulge in any kind of criticism about the work of the Committee/ Organization or its members through print or electronic media.

(B) Specific Obligations of Members during the term of the Committee

5. Without limiting the generality of any of the foregoing, the Members during the term of the committee shall —

(a) not publish any information or data or part of the deliberations available to them by virtue of their membership of the Committee, in any media platforms including, but not limited to, print or TV or electronic or online or social media;

(b) not use, for their personal benefit or advantage, or for the benefit or advantage of any other person, including family member or organization, any information or data acquired in their capacity as Members during the term of the Committee that is not otherwise generally available to the public.

(C) Obligations after leaving the Committee

6. The Members shall —

(a) respect and maintain the confidentiality of information or data shared with them during the term of the Committee as well as the confidentiality of the deliberations in which they participated unless such information or data is otherwise generally available in the public domain through official releases;

(b) shall not use, for their personal benefit or advantage, or for the benefit or advantage of or any other person, including family member, organization, any information or data acquired Membership of the Committee that is not otherwise generally available to the public through official releases.

IV. Other Conditions

7. The provisions of the CCS (Conduct) Rules, 1964 and the CCS (CCA) Rules, 1965, shall apply for the members, as appropriate.
8. The Chairperson of the Committee is expected to lay down the norms for a quorum for the Committee and its Sub-Committees, in cases where it has not been specified in the Terms of Reference, for taking key decisions and making recommendations.

K. S. REJIMON, Dy. Director General